

कार्यालय –प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक ५ / s.w./2025

विदिशा, दिनांक २२-०१-२०२५

संशोधित कार्य विभाजन आदेश

मैं जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा, सिविल कोर्ट एकट की धारा 15, 7(2) एवं 21(4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 01 दिनांक 09.01.2025 पृष्ठ क्रमांक 18, अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायालय के सरल क्रमांक 05, के कॉलम नम्बर-03 में निम्नानुसार संशोधित समाहित किया जाता हैं, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

क्रं	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायालय का नाम
1	2	3
5.	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधि. विदिशा	1. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, विदिशा 2. प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, विदिशा 3. चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, विदिशा 4. विशेष न्यायाधीश (एस.सी. / एस.टी. अधि.), विदिशा

शेष पूर्ववत्।

sd-
(जाकिर हुसैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक २०९ / एस.डब्ल्यू/2025

विदिशा, दिनांक २२.०१.२५

प्रतिलिपि :-

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- विशेष न्यायाधीश, (एस.सी. / एस.टी. अधिनियम) विदिशा
- समस्त जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी
- समस्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी
- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा
- केन्द्रीय पंजीयन काउंटर, विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अभिभाषक संघ, विदिशा / गंजबासौदा / सिरोंज / कुरवाई / लटेरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, विदिशा की ओर समस्त न्यायाधीशगण, न्यायिक कर्मचारीगण, अधिवक्तागण को ई-मेल करने एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर कार्य विभाजन आदेश की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

५१
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा (म.प्र.)